रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-275012
CG-DL-E-31072026-275012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948
No. 607] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 669(अ).— केंद्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 49 की उप-धारा (2) के खंड (xक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (जांच करना और अपील) नियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चाय (जांच करना और अपील) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. चाय (जांच करना और अपील) नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में—

(i) उप-नियम (1) में, "न्यायनिर्णयन के प्रयोजन" शब्दों के स्थान पर, "चेतावनी पत्र जारी करने या न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (8) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(8क) उप-नियम 8 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो न्यायनिर्णय अधिकारी प्रथम घटना पर चेतावनी पत्र जारी करेगा, और पुनरावर्ती उल्लंघन की स्थिति में, वह शास्ति अधिरोपित कर सकता है जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।"

(iii) उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(9) उप-नियम (8) या 8(क) के अंतर्गत दिए गए प्रत्येक आदेश में, यथास्थिति, अधिनियम के उस प्रावधान का उल्लेख किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और चेतावनी पत्र जारी करने या शास्ति अधिरोपित करने के कारणों का उल्लेख किया जाएगा।"

3. उक्त नियमों में, प्ररूप-I में, पैरा 2 में, "शास्ति अधिरोपित करना" शब्दों के स्थान पर "चेतावनी पत्र जारी करना या शास्ति अधिरोपित करना" शब्दों को रखा जाएगा।

[फा. सं .के-57011/5/2026-बागान-क]

नितिन कुमार यादव, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.487(अ), तारीख 8 अगस्त, 2024 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2026

G.S.R. 669 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (xa) of sub-section (2) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Tea (Holding Inquiry and Appeal) Rules, 2024, namely: —

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Tea (Holding Inquiry and Appeal) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Holding Inquiry and Appeal) Rules, 2024 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3—

(*i*) in sub-rule (1), for the words "purpose of adjudication", the words "purposes of issuing a warning letter or adjudication" shall be substituted;

(*ii*) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(*8A*) Notwithstanding anything contained in sub-rule 8, if the person has committed a contravention of provisions under section 37 of the Act, the adjudicating officer shall issue a warning letter at the first instance, and in case of subsequent contravention, he may impose a penalty which may extend to one lakh rupees.";

(*iii*) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(9) Every order made under sub-rules (8) or (8A), as the case may be, shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for issuing the warning letter or imposing the penalty.".

3. In the said rules, in Form-I, in paragraph 2, for the words "imposition of penalty", the words "issuing a warning letter or imposition of penalty" shall be substituted.

[F. No. K-57011/5/2026-PLANT -A]

NITIN KUMAR YADAV, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 487(E), dated the 8th August, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.31 16:50:35 +05'30'